UPMO010064162026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

पीठासीन अधिकारी–सै0 माऊज़ बिन आसिम, (एच0जे0एस0) JO Code No-UP1895

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–1785/2026

प्रकाशी आयु लगभग 60 वर्ष, पुत्र गनेशी, निवासी ग्राम उत्तमपुर बहलोलपुर, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

..... प्रार्थी/अभियुक्त।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य, द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक), मुरादाबाद।

.....अभियोजक।

मुकदमा अपराध संख्या–340ए/1995,
मुकदमा संख्या–351/2011,
धारा–147, 148, 149, 307 भा0दं0सं0,
थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद।

15.06.2026

1– प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र प्रार्थी/अभियुक्त प्रकाशी की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–340ए/1995, मुकदमा संख्या–351/2011, धारा–147, 148, 149, 307 भा0दं0संहिता, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत किया गया है।

2– जमानत प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थना–पत्र है। इसके अलावा अन्य कोई प्रार्थना पत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में विचाराधीन नहीं है।

3– मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा रूपचन्द द्वारा तहरीर सम्बन्धित थाने में दिनांक 18.10.1995 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी रूपचन्द्र, जागन, शीशपाल आदि ने चमेली देवी से दिनांक 11.01.1995 को बैनामे से जमीन खरीदी थी। प्रकाश व धारा सिंह पुत्रगण गनेशी, जो प्रार्थी के गांव के बदमाश व हेकड़ किस्म के हैं, उनके खेत पर मकान बनाकर कब्जा करना चाहा व आम रास्ते पर भी दीवार बनाकर कब्जा कर लिया। इसकी शिकायत प्रार्थीगण ने कई बार थाने व अधिकारियों से की, पर कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रार्थी ने मजबूरन मुंसिफ न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिये। कल सांय जब वह लोग अपने घर पर

Digitally signed by SYED MAOOZ BIN ASIM
Date: 2026.06.15 16:49:11 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

नहीं थे, उनके खेत में खड़ा कीकर का पेड़ काट लिया। आज सुबह करीब 07:00 बजे प्रार्थी, रामचरन, जागन व सोमपाल अपने खेत में गये, तब देखा प्रकाशी, हरस्वरूप, धारा सिंह, भरत पाल पुत्र गनेशी व 04 अन्य, जिनको सामने आने पर पहचान लेंगे, पेड़ को सामटा कर रहे थे। उन्होंने उनसे मना किया, तब सभी लोगों ने अपने तमंचे निकाल लिये। प्रकाशी व धारा ने जान से मारने की नीयत से प्रार्थी के ऊपर तमंचे से फायर कर दिया, जो उसके पेट में लगा तथा प्रार्थी व सोमपाल की एड़ी में भागते हुए छर्रा लगा व जागन के हाथ में भी छर्रा लगा। फायरों की आवाज पर राजपाल, प्रेमपाल सिंह व अन्य गांव के लोग आ गए व सारा वाक्या उन्होंने देखा। उक्त लोग कई फायर करते हुए अपने घर चले गए और प्रार्थी व अन्य पर केस बनाने की नीयत से अपने छप्पर में आग लगा ली। प्रार्थी उनके डर की वजह से रिपोर्ट लिखाने नहीं आ सका। वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थाने पर अभियुक्तगण प्रकाशी, हरस्वरूप, धारा सिंह व भरतपाल के विरुद्ध उक्त मुकदमा धारा–147, 148, 149, 307 भा0दं0सं0 में पंजीकृत किया गया।

4– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र में मूल तर्क यह लिये गये हैं कि उसे झूंठा फंसाया गया है। घटना दिनांक 18.10.1995 की समय 07:00 बजे सुबह की बतायी जाती है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.10.1995 को समय 11:50 बजे दर्ज होना बतायी जाती है। उपरोक्त मुकदमें का वादी व उसका परिवार प्रार्थी व उसके परिवार से रंजिश रखता था। प्रार्थी व वादी के परिवार वालों में वर्ष 1995 में रास्ते को लेकर कुछ कहासुनी हो गई थी, जिस कारण वादी व उसके परिवार वालों ने प्रार्थी के छप्पर के घर में आग लगाकर प्रार्थी व उसके पूरे परिवार को जान से मारने का प्रयास किया था, जिसके सम्बन्ध में प्रार्थी की ओर से मु०अ०सं०–340/1995, धारा–147, 148, 149, 436, 380 भा०दं०सं०, थाना मझोला पर वादी व उसके परिवार वालों के विरूद्ध कायम कराया गया था। वादी ने मनगढ़न्त व झूंठी घटना बनाकर दबाब बनाने की नीयत से उपरोक्त झूंठा मुकदमा कायम करा दिया। विवेचक ने निष्पक्ष विवेचना कर व घटना झूंठी पाकर अंतिम आख्या संख्या–50/1995 न्यायालय में प्रस्तुत की थी, जिसके विरूद्ध वादी रूपचन्द द्वारा आपत्ति/प्रोटेस्ट दाखिल किया गया। इसके उपरांत सम्बन्धित न्यायालय द्वारा आदेश दिनांकित 24.01.1997 द्वारा प्रार्थी व अन्य को विचारण हेतु तलब किया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी व अन्य द्वारा दिनांक 17.10.1995 को खेत में लगा कीकर का पेड़ काटा गया व दिनांक 18.10.1995 को कटे पेड़ को समेटा गया, यदि प्रार्थी व अन्य द्वारा विवाद के चलते पेड़ काटा जाता, तब वह दूसरे दिन समेटने के लिए कैसे छोड़ देता। इस बात से प्रमाणित होता है कि उपरोक्त मुकदमा झूंठा कायम कराया गया था। प्रकरण में दौरान विवेचना सत्यता प्रकट होने के बाद ही विवेचक ने न्यायालय में एफ0आर0 प्रेषित की थी। प्रस्तुत मुकदमा व प्रार्थी की

ओर से कायम कराए गए उक्त मुकदमें के दृष्टिगत दोनों पक्षों के मध्य समझौता हो गया था तथा उक्त मु०अ०सं०–340/1995 के वादी द्वारा इस मुकदमें को समाप्त करा लिया गया था। प्रार्थी अत्यन्त वृद्ध व्यक्ति है। प्रार्थी ने वादी व किसी भी व्यक्ति के साथ जान से मारने की नीयत से मारपीट नहीं की, न घातक हथियारों के साथ कोई बल्बा किया और न ही विधि विरूद्ध जमाव किया। प्रार्थी का कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 19.05.2026 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जेल गया है। अतः उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5– विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्त ने अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के ऊपर उसे जान से मारने की नीयत से तमंचे से फायर करके चोटें पहुंचाई हैं। अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6– जमानत प्रार्थना–पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, वादी ने प्रश्नगत मामले की तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 18.10.1995, को प्रार्थी/अभियुक्त एवं अन्य सह–अभियुक्तगण के विरूद्ध मुकदमा अपराध संख्या–304ए/1995, अन्तर्गत धारा–147, 148, 149, 307 भा0दं0संहिता, थाना मझौला पर दर्ज करायी गयी थी। विवेचक द्वारा बाद विवेचना प्रश्नगत मामले में अन्तिम आख्या प्रस्तुत की गयी थी, जिसे न्यायालय द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन के आधार पर दिनांक 24.01.1997 को निरस्त करते हुए, प्रार्थी/अभियुक्त को तलब किया गया था। उक्त तलबी आदेश के विरूद्ध प्रार्थी/अभियुक्त ने माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में दाण्डिक प्रकीर्ण याचिका संख्या–3782/1997, प्रकाशी बनाम उ0प्र0राज्य एवं अन्य योजित की थी, जिसमें पारित आदेश दिनांकित 17.06.1997 के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध वाद की कार्यवाही अग्रिम आदेश तक स्थगित की गयी थी, परन्तु माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की बेवसाइट पर उपलब्ध विवरण के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त दाण्डिक याचिका संख्या–3782/1997, दिनांक 19.08.2010 को गुण–दोष के आधार पर निरस्त कर दी गयी थी। उक्त आदेश पारित होने के लगभग साढ़े पन्द्रह साल तक प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है, जिस कारण मामले में अनावश्यक विलम्ब कारित हुआ है। इसके अतिरिक्त पत्रावली पर उपलब्ध मजरूबान की चिकित्सीय आख्या के अवलोकन से तीन मजरूबान के आग्नेयास्त्र की चोट कारित होना परिलक्षित होता है। वादी ने प्रार्थी/अभियुक्त को घटना कारित करने वाले

के रूप में नामित किया है। प्रार्थी/अभियुक्त की संलिप्तता हेतु पत्रावली पर पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। मामला गम्भीर प्रकृति का है।

8— अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्त प्रकाशी का जमानत प्रार्थना–पत्र, मुकदमा अपराध संख्या–340ए/1995, मुकदमा संख्या–351/2011, धारा–147, 148, 149, 307 भा0दं0संहिता, थाना–मझोला, जिला मुरादाबाद में, निरस्त किया जाता है।

(सै0 माऊज़ बिन आसिम)
सत्र न्यायाधीश,
मुरादाबाद।
15.06.2026

स्टेनो–राजीव कुमार।